

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 21/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमावत पुत्र श्री विश्राम (एफ बी ओ एवं मालिक), मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान्न भण्डार, हॉस्टिपल के पास, पुष्कर जिला अजमेर।
2. मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान्न भण्डार, हॉस्टिपल के पास, पुष्कर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र कुमावत स्वयं

—: आदेश :-

दिनांक— 23.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) मालपुआ (घी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.11.2024 को 03:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजय मोयल, मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान्न



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

भण्डार, हॉस्पिटल के पास, पुष्कर, जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमावत मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय स्टील ट्रे में लगभग 08-10 किलोग्राम मालपुआ घी में निर्मित आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त मालपुआ की गुणवत्ता का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 02 किलोग्राम मालपुआ (घी से निर्मित) 880/- रूपयें श्री महेन्द्र कुमावत को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमावत को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा मालपुआ को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 500 ग्राम) में भरकर प्रत्येक बोतल में 40-40 बून्द फार्मैलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात् लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4646 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/7126 दिनांक 05.12.2024 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/1331/ एक्ट/2024/1357 दिनांक 21.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया मालपुआ (घी से निर्मित) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमावत व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.06.2025 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 27.06.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री गुमानसिंह रावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

नियत पेशी दिनांक 23.07.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र कुमावत ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। अपने लिखित प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण ने यह अंकित किया कि उनकी छोटी सी किराये क दुकान है, जिस पर वे हलवाई का कार्य करते हैं व मिठाईयाँ बनाते हैं।। खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण उनकी दुकान में बनाये गये मालपुए, कुछ मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण कर अनुग्रहित करे तथा आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रार्थीगण ने उपरोक्त



(Signature)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
तिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया मालपुआ (घी से निर्मित) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मालपुआ अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी महेन्द्र कुमावत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमावत को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री पवन सिंह पर रु. 10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक : सरिस्ता / अपर / 2025 /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. समुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर
4. श्री महेन्द्र कुमावत पुत्र श्री विश्राम (एफ बी ओ एवं मालिक), मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान्न भण्डार, हॉस्टिपल के पास, पुष्कर जिला अजमेर।
5. मैसर्स श्री कृष्णा मिष्ठान्न भण्डार, हॉस्टिपल के पास, पुष्कर जिला अजमेर।



(ज्योति ककवानी)
न्याय निपायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रजिस्ट्रेट) अजमेर
अजमेर

दिनांक :

(ज्योति ककवानी)
न्याय निपायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रजिस्ट्रेट) अजमेर